

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला मण्डला के अन्तर्गत वनमंडल पश्चिम मंडला के परिक्षेत्र निवास के कक्ष क्रमांक 305, 306, 691 एवं ओ-898 का कुल रकबा 20.22 हेक्टेयर वनभूमि गौर जलाशय परियोजन के निर्माण हेतु जल सांघन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	--

दिनांक: 12/02/19
स्थान: भोपाल



(वै.के.एन.अमिताल कुमार् (अवर)
सचिव
म.प्र.प्रदेशीय वन विभाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)